न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 08/2021

प्रार्थीगण : रमेश ढोली पुत्र जगदीश ढोली जाति ढोली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।	बनाम	अप्रार्थीगण : भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर

उपस्थित अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 3.11.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मूल रूप से पीपाड़ शहर व रियां का निवासी है एवं प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रियां पटवार हल्का रियां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचकला के खतौनी के खाता संख्या नया 124 व पुराना 514 पर प्रार्थी के नाम खसरा नं. 1560/1 इन्द्राज है। प्रार्थी रमेश ढोली पुत्र जगदीश ढोली की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रियां मे स्थित खसरा नं. 1560/1 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है जिस पर प्रार्थी काश्त कार्य करता आ रहा है। परन्तु प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने जाने हेतु कोई रास्ता सरकारी या राजस्व रेकर्ड मे नही है इसलिए प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे काश्त कार्य हेतु व अपने खेत मे आने व जाने के लिए व मवेशियो वगैराह व कृषि कार्यो के उपयोग मे आने वाले ट्रेक्टर लाने व ले जाने मे बडी दिक्कत का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1560/1 के खेत के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नं. 1559 रकबा 2.2976 हैक्टेयर स्थित है। जो खतौनी के खाता संख्या नया 1147 व पुराना 0 जो अप्रार्थी भूमिधारी के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज है। प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नं. 1559 है एवं खसरा नं. 1559 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे 30 फिट चौडाई मे रास्ता दिलवाया जाये उपरोक्त मांग किये गये रास्ते को नजरी नक्शे मे मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है। प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने जाने हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है क्योकि प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नं. 1560/1 मे आने जाने का कोई अन्य रास्ता नही है जिससे प्रार्थी को भारी दिक्कत का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त कानून का सहारा लेना पड रहा है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार राशि जमा कराने को

3/11

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को ग्राम रियां की राजस्व सीमा मे स्थित खसरा नं. 1559 के उत्तरी तरफ वाली माठ के सहारे सहारे 30 फिट चौडाई मे रास्ता दिलवाया जाने के आदेश फरमावे व उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे दर्शित करवाये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील प्राप्त हुआ, अप्रार्थी तहसीलदार ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम रियां के खेत खसरा नं. 1560/1 तक पहुंचने का कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड मे उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते का मौका निरीक्षण किया, जो खसरा नं. 1015 गै.मु. सडक से ख.नं. 1547/2 समर्पित भूमि सिवाय चक जहा रास्ता चल रहा है,वहा से ख.नं. 1559 गै.मु. नाडी मे ख.नं. 1559 के उत्तरी मेड पर नजरी नक्शे मे प्रदर्शित बिन्दु ए बी सी डी प्रस्तावित रास्ता है जो ख.नं. 1560 की सीमा तक पहुंचता है। ख.नं. 1559 गै.मु. नाडी है एवं ग्राम पंचायत के खाते मे दर्ज है। उक्त खसरे मे प्रदर्शित लाल स्याही से अंकित बिन्दु ए बी सी डी की लम्बाई 90 मीटर व चौडाई 30 फिट प्रस्तावित है। खसरा नं. 1560/1 व 1560 पूर्व मे एक ही खसरे का हिस्सा था। ख.नं. 1560/1 तक पहुंच का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।खसरा नं. 1560/1 के लिये खसरा नं. 1559 मे प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे मे लाल स्याही से बिन्दु सं. ए बी सी डी से दर्शाया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल व किमत निम्नानुसार है, प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.0822 हैक्टेयर भूमि ग्राम रिया क ख.नं. 1559 की वर्तमान डीएलसी दर 257701/- रूपये अक्षरे दो लाख सतावन हजार सात सो एक रूपये है। जिससे प्रस्तावित रास्ते की भूमि की किमत 21198/- रूपये होगी।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम रियां के सरहद में खाता सं. 124 खसरा नम्बर 1560/1 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि स्थित है परन्तु प्रार्थी के खातेदारी खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता सरकारी एवं राजस्व रेकर्ड में नही है । इसलिए प्रार्थी को अपने खेत में काश्त करने, मवेशियो एवं टेक्ट्रर लाने व ले जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ स्थिति 1559 के उत्तरी माठ के सहारे सहारे 30 फुट रास्ता दिलवाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस पक्षकरान सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 18.02.2021 का अवलोकन करने किया । अप्रार्थी राज पैरोकार तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका रिपोर्ट से RTA 251 A की सभी आवश्यक शर्ते प्रार्थी पूर्ण करता है। प्रार्थी को रास्ते

3/11/4
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा मौका रिपोर्ट में मार्क ABCD पर वर्तमान में रास्ता चालू है । खसरा नम्बर 1559 खाता संत्र 01 किस्म गै.मु.नाडी जो राज्य सरकार में निहित है । RTA 251 A के प्रावधानो के अनुसार सरकारी भूमि है जिसका नियमानुसार प्रतिकर राशि का भुगतान राज्य सरकार या राजकोष में जमा करवाया जाना है । तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका फर्द व संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ते में 90 वर्ग मी. भूमि खसरा नम्बर 1559 किस्म गै.मुमकिन नाडी की भूमि वर्तमान में उपयोग में आ रही है । अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सहमति जाहिर कर निवेदन किया कि निमयानुसार यदि रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई आपति नही है । उभय पक्षकारन के बयानो, पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात्, बहस के तथ्यो व मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है, ग्राम रियां पटवारी हल्का रियां, भू.अ.नि.क्षैत्र बुचकलां के खेत खसरा नम्बर 1560/1 तक प्रार्थी को आवागमन हेतु वर्तमान में मौके पर चल रहे रास्ते, मौका रिपोर्ट के अनुसार मार्क ABCD जो खसरा नम्बर 1559 में खाता सं. 01 की भूमि को रास्ता प्रयोजनार्थ अंकित करते हुए खसरा नम्बर 1559 के ही रकबे में रखते हुए अमलदरामद किया जावें । नियमानुसार DLC की दुगुनी प्रतिकर राशि राजकोष में जमा करवाने के बाद तहसीलदार पीपाड़ शहर प्रार्थी के खेत तक रास्ता खोला जाकर पालना से अवगत करावे । तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट व नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी हो । पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें ।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी(SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 3.11.2021 को मेरे द्वारा लिया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

(दूदाराम)
उपखण्ड अधिकारी(SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)